

पत्नी राधाकिशन दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साम्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज नौजा दुगस्तार के वर्तमान (2073-2076) खाता संख्या 918 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थीया की खरिदसुदा की भूमि है जिसमें प्रार्थीया का नाम सुनन देवी पत्नी राधाकिशन के स्थान पर सुनन पत्नी राधाकिशन मूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ नहज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जनाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

उक्त राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंजान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का नानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जनाबंदी) नौजा दुगस्तार के खाता संख्या 918 के खसरा नम्बर 1998/462 रकबा 0.9793 हैक्टेंबर में दुस्तार/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश : —

उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। नौजा दुगस्तार के खाता संख्या 918 के खसरा नम्बर 1998/462 रकबा 0.9793 हैक्टेंबर में दर्ज खातेदार कारतकार का नाम सुनन पत्नी राधाकिशन हिस्ता पूर्ण जाति अहिर (यादव) सा. देह खातेदार के स्थान पर सुनन देवी पत्नी राधाकिशन हिस्ता पूर्ण जाति अहिर (यादव) सा. देह खातेदार दुस्तार किया जाता है। उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन ब्यावद् रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम नाशिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 23/09/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिलाषा)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

जायल (नागौर)